17/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वादी वकील बहस पर मनन किया। वादपत्र
एवं संलग्न दस्तावेजात व प्रकरण मे प्राप्त भू० अ०
निरीक्षक बाँदीकुई व पटवारी हल्का श्मशानावास कलाँ
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी वकील
बहस पर मनन करने एवं उपरोक्त अवलोकन के
आधार पर वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित
प्रतीत नही होता है। अत: वादी वाद दावा दुरुस्ती
इन्द्राज पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

17.5.24

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 33/2018
प्रकरण दायर दिनांकः– 05.02.2018
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 17.05.2024

उनवान

भगवानसहाय पुत्र रामहेत उम्र 55 साल जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा हाल तहसील बॉदीकुई जिला दौसा ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा हाल तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

दावा दुरूस्थी इन्दाज पिता का नाम

वादी द्वारा वाद दावा दुरूस्थी इन्द्राज पिता का नाम इस आशय का पेश किया कि भूमि आराजी खतौनी संख्या नई 91 पुरानी 87 के खसरा नं0 192 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 192/1246 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 है0 स्थित ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा है। भूमि मुतदाविया वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है लेकिन राजस्व अधिकारीयों ने सहवन से वादी के पिता का नाम रामहेत' के स्थान पर मूलचन्द दर्ज कर दिया जबकि मूलचन्द जो कि मिन वादी का ताउ था । वादी के ताउ मूलचन्द के भगवान सहाय नाम का कोई लडका नही था । वादी ही अपने ताउ के पास रहता चला आ रहा था इस कारण राजस्व अधिकारीयों ने वादी के पिता का नाम रामहेत के स्थान पर मूलचन्द दर्ज कर दिया । वादी ही भूमि मुतदाविया पर अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से काश्त करता चला आ रहा है तथा भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है। ग्राम श्यालावास कलां में भगवान सहाय पुत्र मूलचन्द नाम का कोई व्यक्ति नही है तथा वादी के सभी दस्तावेजात राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में सभी में वादी के पिता का नाम रामहेत दर्ज है तथा वादी का पिता रामहेत ही है लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारीयों ने वादी के पिता का नाम रामहेत के स्थान पर मूलचन्द दर्ज कर दिया जो कि गलत है। वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड सही दर्ज नही होने के कारण वादी को भारी अपूर्णिय क्षति कारित हो रही है जिसकी पूर्ति सम्भव नही है तथा वादी अपने जायज अधिकारात से वंचित हो रहा है। वादी जो कि कम पढा लिखा है तथा राजस्व रिकार्ड में कम समझता है वादी को उक्त नाम की गलती की पूर्व में कोई जानकारी नही रही है वादी ने अब अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी से जमाबंदी आदि की नकल प्राप्त करने के लिये निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने दिनांक 25/1/2018 को बताया कि राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता का नाम रामहेत के स्थान पर मूलचन्द दर्ज हो रहा है जिस पर वादी ने हल्का पटवारी से नाम दुरूस्थ करने को कहा तो हल्का पटवारी ने न्यायालय से आदेश लेकर आने के लिये कहा जिस पर वादी ने

ακμε–

दिनांक 25/1/2018 को ही प्रतिवादी के कार्यालय में पिता के नाम दुरुस्थी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिवादी ने नाम दुरुस्थी करने से साफ मना कर दिया।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि खाता संख्या नया 91 पुराना 87 खसरा नं० 192 रकबा 0.20 है०, खसरा नं0 192/1246 रकबा 0.81 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 है० स्थित वाके ग्राम श्यालावास कलां तहसील बसवा हाल तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा में वादी के पिता का गलत नाम मूलचन्द को हजफ किया जाकर वादी के पिता का सही नाम रामहेत दर्ज जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम भगवान सहाय पुत्र रामहेत दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में भू. अ. निरीक्षक बॉंदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलॉं रिपोर्ट दिनांकः 09.03.2022 प्राप्त हुई। प्रकरण में वादी वकील बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस वादी वकील पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजात व भू. अ. निरीक्षक बॉंदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलॉं से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकः 09.03.2022 का अवलोकन किया गया। भू. अ. निरीक्षक बॉंदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलॉं से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकः 09.03.2022 में पत्रावली में उक्त भूमि के संबंध में साबिक रिपोर्ट यथा आवंटन पत्रावली, साबिक जमाबंदी, नामान्तकरण की नकल इत्यादि शामिल नहीं होने के कारण प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट किया जाना संभव नहीं होना अंकित किया है। अतः उपरोक्त अवलोकन से प्रकट है कि वादी ने अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिनके अभाव में वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादी वकील बहस पर मनन करने एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात व भू. अ. निरीक्षक बॉंदीकुई एवं पटवारी हल्का श्यालावास कलॉं रिपोर्ट दिनांकः 09.03.2022 के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा दुरुस्थी इन्द्राज पिता का नाम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/5/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई